

07/10
25

अपीलांत के अधिवक्ता अनु. | रेसपो. सं.
1 व 5 से 7 के अधिवक्ता अनु.
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिसमें पाया गया कि उक्त पत्रावली
करीब एक साल से बक्स में लॉकित है।
इस हेतु अधिवक्ता अपीलांत एवं अधिवक्ता
रेसपो. को पर्याप्त समय एवं अवसर प्रदान
किए जा चुके हैं। आज भी न्यायालय
समय में अधिवक्ता अपीलांत एवं अधिवक्ता
रेसपो. को अलग-अलग समय तीन बार
आवाज लगाई गई, परन्तु अधिवक्तागण

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अनुपस्थित रहें अतः पत्रावली लिहाजा
अपीलांत की यह अपील अदम पैरवी
रुवँ अदम लाजरी में खारेज की
जाती हैं पत्रावली फैसल शुमार लेकर
नंबर से कम हो रुवँ काखिल पत्तार
हो।

अपर कलक्टर बाडमेर
(ए.डी.एम.)